निविदा

विषय: <u>पर्यटन मंत्रालय से संबंधित रिपोर्टों/विविध सामग्री का समय-समय पर हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाने के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/कम्पनियों से आवेदन-आमंत्रण।</u>

उपर्युक्त विषय के संबंध में समय-समय पर हिंदी अनुवाद के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एजेंसियों को कार्य प्रदान किया जा सकता है:-

1. कंपनी विधिवत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होनी चाहिए (इच्छुक होने पर जीएसटी नंबर उपलब्ध करवाया जाए)।
2. कार्य अनुभव- कंपनी द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण (संगठनों, कार्यालयों के नाम आदि) उपलब्ध करवाया जाए।
3. हिंदी अनुवाद अर्थात अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, पुनरीक्षण, कम्प्यूटर पर टाइपिंग/फॉरमेटिंग तथा प्रूफ रीडिंग का समस्त कार्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग मंगल (यूनिकोड) फांट/(यथा निर्दिष्ट) में अपेक्षित है।
4. अंतिम (final) हिंदी रूपांतर हर हालत में परम अग्रता के आधार पर निर्धारित तारीख और समय तक उपलब्ध करवाया जाएगा। हिंदी रूपांतर की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी तथा प्रूफ रीडिंग की पहली मूल प्रति स्कैन करके, प्रथम हिंदी रूपांतर के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी, अन्यथा यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
5. हिंदी अनुवाद किए गए संशोधन एवं पाई गई गलतियों को परम अग्रता के आधार पर सुधार कर वापस किया जाएगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।
6. निगम संबंधी किसी भी सूचना को हर हालत में गोपनीय रखा जाएगा तथा संबंधित साम ग्री का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
7. यदि कोई कंपनी किसी कारणवश पैनल से हटना चाहती है तो 10 दिन पहले सूचित करना होगा, अन्यथा यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
8. पर्यटन मंत्रालय के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी समय बिना कोई कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर हिंदी अनुवाद सामान्य अथवा तत्काल आधार पर करवाया जा सकता है। सामान्य अनुवाद निर्धारित समय-अवधि के अंदर उपलब्ध करवाना और तत्काल आधार पर हिंदी रूपांतर उसी दिन अथवा बताई गई समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि यदि आप पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मानदंडों/शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं तो कृपया 05.10.2021 तक हर हालत में अपनी सहमति हिंदी अनुवाद से संबंधित अपेक्षित दरें ई मेल hindisection2012@gmail.com पर भेज दें।

न्यूनतम उद्धृत दर प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी परंतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से उसी निर्धारित दर पर कार्य करने की इच्छुक अन्य एजेंसियों को भी कार्य प्रदान किया जा सकता है।

सन्तोष

(संतोष सिल्पोकर)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली